रजिस्ट्री सं० डी० (डी०)-72

REGISTERED No. D. (D.)72

CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY ... 28-5-80 ... INDIA

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 128] नई दिल्ली सोमवार, मार्च 31, 1980/चैत्र 11, 1902

No. 128] NEW DELHI, MONDAY, MARCH 31, 1980/CHAITRA 11, 1902

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 31 मार्च, 1980

का०आ० 232(अ)/18चख/आई०डी०आर०ए०/80.—भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं० का०आ० 192(अ)/18-चख/,आई डी आर ए/79; तारीख 31 मार्च, 1979 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18 चख की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, घोषणा की थी कि उक्त आदेश के जारी होने की तारीख से ठीक पूर्व प्रवृत्त सभी संविदाओं, सम्पत्ति के हस्तान्तरण पत्रों, करारों, व्यवस्थापनों, पंचाटों, स्थायी आदेशों या अन्य लिखितों का (उनसे भिन्न जो बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के प्रतिभूत दायित्वों से संबंधित हैं), जिसका मैसर्स महादेव टैक्सटाइल्स मिल्स, हुबली, कर्नाटक नामक औद्योगिक एक पक्षकार है या जो ऐसे औद्योगिक उपक्रम को लागू हो सकती है, प्रवर्तन ऐसी तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए निलम्बित रहेगा और उक्त तारीख से पूर्व तद्धीन प्रोद्भूत या उद्भूत होने वाली सभी बाध्यताएं और दायित्व उक्त अवधि तक निलम्बित रहेंगे;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त आदेश की अस्तित्वावधि एक वर्ष तक और बढ़ा दी जानी चाहिए;

अतः, केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18 चख की उपधारा (2) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त आदेश की अस्तित्वावधि 30 मार्च, 1981 तक, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, और बढ़ाती है।

[फा० सं० 3/2/79 सी०यू०सी]

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 31st March, 1980

S.O. 232(E)/18FB/IDRA/80.—Whereas by the Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 192(E)/18FB/IDRA/79, dated the 31st March, 1979 (hereinafter referred to as the said Order), the Central Government, in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 18FB of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), declared that the operation of all contracts, assurances of property, agreements, settlements, awards, standing orders or other instruments in force immediately before the date of issue of the said Order (other than

those relating to secured liabilities to bank and financial institutions) to which the industrial undertaking known as Messrs Mahadeva Textile Mills, Hubli, Karnataka, is a party or which may be applicable to the said industrial undertaking shall remain suspended for a period of one year from such date and that all obligations and liabilities accruing or arising thereunder before the said date shall remain suspended for the said period;

And whereas the Central Government is satisfied that the duration of said Order should be extended for a further period of one year;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with sub-section (2), of section 18FB of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby extends the duration of the said Order for a further period upto and inclusive of the 30th March, 1981.

[File No. 3(2)/79 Cus.]

का०आ० 233(अ).—केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं० का०आ० 325 (अ) तारीख 18 मई, 1978 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त आदेश में "सदस्य (अंशकालिक)", शीर्ष के नीचे प्र. सं. 5ख का लोप किया जाएगा।

[फा० सं० 4(1)/77-सी०यू०एस०]

S.O. 233(E).—In exercise of the powers conferred by Section 18A of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby makes the following amendment in the Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 325(E) dated the 18th May, 1978, namely :—

In the said Order, under the heading 'Members (Part-time)', entry 5B shall be omitted.

[F. No. 4(1)/77-Cus.]

का०आ० 234(अ)/18अ/आई डी आर ए/80—केन्द्रीय सरकार ने, भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं० का०आ० 618 (अ)/18कक/आई डी आर ए/79, तारीख 31 अक्तूबर, 1979 द्वारा सचिव, बंद और रुग्ण उद्योग विभाग पश्चिमी बंगाल सरकार, कलकत्ता को सम्पूर्ण औद्योगिक उपक्रम अर्थात् श्री सरस्वती प्रेस लिमिटेड, कलकत्ता का प्रबन्ध उसमें विनिर्दिष्ट अवधि के लिए ग्रहण करने के लिए प्राधिकृत किया है।

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18 क की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इससे उपाबद्ध अनुसूची में ऐसे अपवादों, निर्बंधनों और परिसीमाओं को विनिर्दिष्ट करती है जिनके अधीन रहते हुए कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) उक्त औद्योगिक उपक्रम को उसी रीति में लागू होता रहेगा जैसी वह पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 18कक के अधीन आदेश जारी किए जाने के पूर्व उसे लागू था।

अनुसूची

कम्पनी अधिनियम, 1956 के उपबन्ध	ऐसे अपवाद, निर्बंधन, परिसीमाएं जिनके अधीन रहते हुए स्तम्भ (1) में वर्णित उपबन्ध उपक्रम को लागू होंगे।
1	2
धारा 166 और 210(1)	इन धाराओं के उपबन्ध उक्त औद्योगिक उपक्रम को इस शर्त के अधीन रहते हुए लागू नहीं होंगे कि यद्यपि कम्पनी का तुलन पत्र और लाभ तथा हानि का लेखा वार्षिक साधारण अधिवेशन के समक्ष रखने की आवश्यकता नहीं है फिर भी उक्त उपक्रम तुलन पत्र और लाभ तथा हानि का लेखा सामान्य रूप में तैयार करेगा और उन्हें कानूनी विवरणियों के साथ कम्पनी रजिस्ट्रार के पास फाइल करेगा।
धारा 217	इस धारा के उपबन्ध उक्त औद्योगिक उपक्रम को उस सीमा तक लागू नहीं होंगे जिस सीमा तक कि बोर्ड की रिपोर्ट वार्षिक साधारण अधिवेशन के समक्ष रखे जाने के लिए अपेक्षित न हो।
धारा 224 और 225	इन धाराओं के उपबन्ध उक्त औद्योगिक उपक्रम को इस शर्त के अधीन रहते हुए लागू नहीं होंगे कि लेखापरीक्षक केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए जाएंगे।
धारा 293(1)(ब)	इस उपधारा के उपबन्ध उक्त औद्योगिक उपक्रम को उन शर्तों के अधीन रहते हुए लागू नहीं होंगे, जिन्हें सरकार समय-समय पर अधिरोपित करे।
धारा 169 और 294	इन धाराओं के उपबन्ध उक्त औद्योगिक उपक्रम को लागू नहीं होंगे।

[फा०सं० 2(15)/79-सीयूएस]

बी० राय, संयुक्त सचिव

S.O. 234(E)/18E/IDRA/80.—Whereas, by the Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S. O. 618 (E)/18AA/IDRA/79, dated the 31st October, 1979, the Central Government has authorised Secretary, Closed and Sick Industries Department, Government of West Bengal, Calcutta, to take over the management of the whole of the industrial undertaking viz., Sree Saraswati Press Limited, Caloutta, for the period specified therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 18E of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951, (65 of 1951), the Central Government hereby specifies, in the Schedule annexed hereto, the exceptions, restrictions and limitations subject to which the Companies Act, 1956 (1 of 1956), shall continue to apply to the said industrial undertaking in the same manner as it applied thereto before the issue of the order under section 18AA of the aforesaid Act.

SCHEDULE

Provisions of the Companies Act, 1956	Exceptions, restrictions, limitations subject which the provisions mentioned in column (1) shall apply to the undertaking.
1	2
Sections 166 and 210(1)	Provisions of these sections shall not apply to the said industrial undertaking, subject to the condition that while the balance sheet and profit and loss account of the Company need not be placed before the annual general meeting, it shall, however, prepare Balance Sheet and Profit and Loss Account as usual and file them with the Registrar of Companies along with Statutory returns.

1	2
Section 217	Provisions of this section shall not apply to the said industrial undertaking to the extent that the Board's report is not required to be placed before the general meeting.
Sections 224 and 225	Provisions of these sections shall not apply to the said industrial undertaking subject to the condition that auditors shall be appointed by the Central Government.
Section 293(1)(d)	Provisions of this sub-section shall not apply to the said industrial undertaking subject to such conditions that Government may inmpose from time to time.
Sections 169 and 294	Provisions of these sections shall not apply to the said industrial undertaking.

[F. No. 2(15)/79-C US.]
B. ROY, Jt. Secy,

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1980